सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बनाम नगीनचंद मुथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. श्री नगीनचंद मुथा पुत्र बस्तीमल जाति जैन,
   निवासी–मुथा मौहल्ला, बोरावड़ तह.मकराना जिला नागौर।
   (विक्रेता मालिक)
   फर्मः–मैसस चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार बोरावड़, तह.मकराना,जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः–19/2020

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 26 (2)(v)तथा 27 (3)(d) दण्डनीय धारा– 52 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. अभियुक्त श्री नगीनचंद मुथा जाति जैन।
2. श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

–:निर्णय :–

दिनांक :–20.09.2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2019 को समय 12:10 पी.एम. पर फर्म मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री नगीनचंद मुथा पुत्र बस्तीमल मुथा जाति जैन, निवासी–मुथा मौहल्ला, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी, टॉपी आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना बताया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) के 450–450 ग्राम वाले 18 पैकेट एक लकड़ी की रैक में रखे हुए थे। जिन पर फार्म नं.–5ए पर दर्शाये अनुसार जानकारी अंकित थी, मुझे इनमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्र्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को फार्म नं.–5ए में दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि ये सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीदने का बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) की 450–450 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही सील्ड अवस्था में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को उनके बताये अनुसार 280/–रू (अक्षरे दो सौ अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1194 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नगीनचंद मुथा एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

(4) तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 14.10.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 14.10.2019 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

(5) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीद बिल/कैश मैमों/वेट इन्वायस से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत रजिस्टर्ड पत्रांक 6160 दिनांक 13.11.2019 को प्रेषित किया। उक्त पत्र का जवाब प्राप्त नही हुआ। जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 594–95 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा सलंग्न जांच रिपोर्ट संख्या L.S/163/Act/2019/156 दिनांक 22.10.2019 के द्वारा प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नगीनचंद मुथा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) का नमूना Q–1194 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत मिसब्राण्डेड (मिथ्याछाप) होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता नगीनचंद मुथा को भी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांकः–594–95 दिनांक 22.10.2019 को प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद तथा जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीद बिल/कैश मैंमों/वेट इन्वायस से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत प्रथम स्मरण रजिस्टर्ड पत्रांक 6484 दिनांक 03.12.2019 को प्रेषित किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

उक्त पत्र का कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीद बिल/कैश मैमों/वेट इन्वायस से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् द्वितीय स्मरीण रजिस्टर्ड पत्रांक 6882 दिनांक 03.12.2019 को प्रेषित किया। उक्त पत्र का भी कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीद बिल/कैश मैमों/वेट इन्वायस से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् तृतीय व अन्तिम स्मरीण रजिस्टर्ड पत्रांक 372 दिनांक 27.01.2020 को प्रेषित किया। उक्त पत्र का भी कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है, तथा साथ ही उक्त वर्णित अभियुक्त ने उक्त खाद्य पदार्थ को कहां से प्राप्त किया है जिसकी सूचना उपलब्ध नही कराकर इसी अधिनियम की धारा 27(3)(d), 26(2)(v) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना इसी अधिनियम की धारा 58 में होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 27(3)(d), 26(2)(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(8) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 29.07.2021 को अभियुक्त नगीनचंद मुथा ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। अभियुक्त नगीनचंद मुथा की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी विक्रय की जा रही थी, जो कि बाद जाँच मिथ्याछाप होना पाया गया है। यह त्रुटि मेरे द्वारा भूलवंश हो गई है, जिसकी में जिम्मेदारी लेता हूं एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती मेरे द्वारा नहीं की जायेगी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अतः आपसे सविनय निवेदन कि मिसब्राण्ड सोन पपड़ी होना मेरी मानवीय भूल मानकर क्षमा करें, भविष्य में पुनः इस प्रकार की पुनरावृति नही होगी। यह भूल अज्ञात वश हुई है।

(9) प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभियुक्त को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(d), 26(2)(v)का उल्लंघन पाया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(10) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 12:10 पी.एम. पर फर्म मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नगीनचंद मुथा पुत्र बस्तीमल, निवासी–मुथा मौहल्ला, बोरावड़, तह. मकराना जिला नागौर, उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते सोन पपड़ी, टॉफी आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन होना बताया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(11) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर सोन पपड़ी के 450–450 ग्राम वाले 18 पैकेंट एक लकड़ी की रैंक में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके मिसब्राण्डेड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) के 4 पैकेट मूल ही सिल्ड पैक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अवस्था में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 280/–(अक्षरे दौ सौ अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1194 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नगीनचंद मुथा एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर, विक्रेता मालिक नगीनचंद मुथा पुत्र बस्तीमल, जाति जैन, निवासी–मुथा मौहल्ला, बोरावड़ तह. मकराना, जिला नागौर से खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 14.10.2019 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने दिनांक 14.10.2019 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/163/Act/2019/156 दिनांक 22.10.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion-The Sample of **Soan papdi Sweets (Bikaneri brand)** bearing Code No. and Sr. No. Q-1194 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Misbranded** under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act - 2006.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नगीनचंद मुथा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (बीकानेरी ब्राण्ड) का नमूना Q–1194 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(d), 26(2)(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(d), 26(2)(v) इस प्रकार है:

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 27:–विनिर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओ का दायित्वः–

(3) विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए उतरदायी होगा जो–

(d) उस विनिर्माता या वितरक की, जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया गया था, पहचान बताने वाला नही है;या

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

धारा 26:–खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में,

धारा 52:–

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो, मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 58:–

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(12) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/594–95 दिनांक 22.11.2019 से नगीनचंद मुथा को उक्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S/163/Act/2019/156 दिनांक 22.10.2019 को प्रति प्रेषित की गई है किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड (मिथ्याछाप) है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(d), 26(2)(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 के तहत अभियुक्त नगीनचंद मुथा पुत्र बस्तीमल, निवासी–मुथा मौहल्ला, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर, फर्मः–मैसर्स चाँदमल बस्तीमल, सदर बाजार बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर पर राशि रुपये 30000/–(अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(13) आदेश दिनांक 20.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)